उमेश कुमार शर्मा जे०डी०ए०

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से 88/2012
	14/6/24	पत्रावली विचाराधीन कीपा उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रसारण में बदस 1-3 [illegible] जा चुकी है बदस उपखण्ड व पत्रावली का मनुद दस्तावेजात दस्तावेज विभागवार अवलोकन किया जाने पर प्राणी का प्रथम दृष्टया मानव्य सुविधा का संतुलन एवं आपूर्ति दृष्टिकोण बिन्दु प्राणी के पक्ष में साबित नहीं होता है अतः प्राणी का प्रार्थना अस्वीकार निरस्त किया जाकर ~~खारिज~~ खारिज की जाती है पत्रावली अंसल कुमार चौधरी एवं ए० से का धोबाप जयपुर प्रविष्ट हो।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:07:12 IST
Reason: SelfAttested